

—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

6459

// ज्ञापन //

24 JUN 2025

क्रमांक...../एक-6-30/11

उज्जैन, दिनांक जून, 2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण

जिला उज्जैन

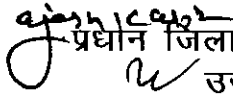
विषय :- Framing of issues के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक सी/4199 जबलपुर दिनांक 18.06.2025.

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से Framing of issues के ऐसे प्रकरण जो 01 माह से अधिक अवधि से लंबित हैं उन प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया है।

अतः आप उक्त निर्देशों के आलोक में ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

6458

// ज्ञापन //

24 JUN 2025

क्रमांक...../एक-6-30/11

उज्जैन, दिनांक जून, 2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण

जिला उज्जैन

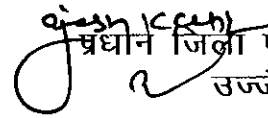
विषय :- Framing of charges के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक सी/4199 जबलपुर दिनांक 18.06.2025.

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें आरोप 01 माह की अवधि से अधिक में तय नहीं किये गये हैं, उन प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है।

अतः आप उक्त निर्देशों के आलोक में ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

 24/6/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

--:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::--

क्रमांक...../एक-6-30/11
प्रति,

// ज्ञापन //

24 JUN 2025

उज्जैन, दिनांक जून 2024

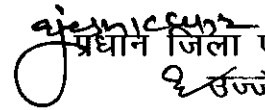
समस्त न्यायाधीशगण
जिला उज्जैन

विषय :- अंतरिम आवेदन पत्रों के संबंध में।
संदर्भ :- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक सी/4199 जबलपुर दिनांक 18.06.2025.

-----0000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से साम्प्रतिक प्रकरणों को शीघ्र एवं समयावधि में निराकृत किये जाने हेतु ऐसे अंतरिम आवेदन पत्र जो 03 माह से अधिक की अवधि से लंबित हैं, प्रकरणों में लंबित अंतरिम आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है।

अतः आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में प्रकरणों में लंबित अंतरिम आवेदन पत्रों में निर्धारित समयावधि में ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)